निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 688) पटना, शुक्रवार, 13 अगस्त 2021

सं0 रा0वि0आ0(6)का0–01/2020–5164

foÙk foHkkx

संकल्प

13 अगस्त 2021

fo"k; %& "k"Be jkT; foÙk vk;ksx }kjk lefiZr izfrosnu esa dh xbZ vuq'kalkvksa dks ykxw djus ds lEca/k esaA

षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (I) सह पठित 243–(Y) के अनुपालन तथा बिहार राज पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1835 दिनांक–20.02.2019 द्वारा किया गया। षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार द्वारा दिनांक– 30.04.2021 को अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए निम्न रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

***1- izfrfu/kk;u* (Devolution)*A*—**प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जानेवाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के *jkT; ds vius 'kq) dj jktLo dk 10 izfr'kr gksxkA*

2- vuqnku* (Grant)*A&& स्थानीय निकायों को अंतरित की जानेवाली अनुदान (Grant) की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल वास्तविक व्यय का 2.5 प्रतिशत होगा। अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की जायेगी एवं 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत व्यय किया जायेगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है।

3. LFkkuh; fudk;ksa ds varxZr Q.; dh tkusokyh dqy jkf'kA&& षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के लिए प्रतिनिधायन (Devolution) एवं अनुदान (Grant) संबंधी अनुशंसाएं की गई हैं, जो अनुमान पर आधारित है। इसके अनुसार वर्ष 2021–25 तक के लिए प्रतिनिधायन की राशि 11,713 करोड़ रूपये एवं अनुदान की राशि 20,796 करोड़ रूपये है। अनुशंसा संबंधी आंकड़े के अनुसार वर्षवार हस्तांतरित की जानेवाली राशि की गणना निम्न प्रकार है :–

l kj.kh &1 ¼jkf'k djksM+ :0 esa½

Fund Transfer in 2021-22 to 2024-25		Projected				
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2021-25**
Devolution (10% of previous year SONTR) **Direct to Local Bodies**		2197	2654	3156	3706	11713
Grant (2.5% of previous year expenditure)	Transfered direct to Local Bodies - **50%**	1906	2180	2364	2633	9083
	Expenditure by Departments - **50%**	1905	2180	2363	2632	9080
Total Expenditure in Local Bodies		**6008**	**7014**	**7883**	**8971**	**29876**

l kj.kh &2

Total Devolution (2021-25)	11,713 करोड़
Total Grant (2021-25)	18,163 करोड़
Direct to Local Bodies (2021-25)	20,796 करोड़
Expenditure by Departments (2021-25)	9,080 करोड़
Total Transfer for 2021-25	29,876 करोड़

परन्तु किसी वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़ें प्राप्त होने के उपरांत अंतिम गणना की जायेगी एवं अनुपातिक रूप से प्रस्तावित फॉर्मूला के आधार पर राशि का वितरण किया जायेगा। अर्थात अनुदान के रूप में आगणित राशि का 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की जायेगी एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत व्यय किया जायेगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है। इन स्कीमों का चयन संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

4- LFkkuh; fudk;ksa dks lh/ks varfjr dh tkusokyh dqy jkf'k&वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के लिए आयोग द्वारा किए गए गणना के अनुसार प्रतिनिधायन की राशि 11,713 करोड़ रूपये (अनुमानित) एवं अनुदान के रूप में 9,083 करोड़ रूपये (अनुमानित) अर्थात कुल 20,796 करोड़ रूपये स्थानीय निकायों को सीधे हस्तांतरित किये जाएगें। परंतु किसी वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़ें प्राप्त होने के उपरांत अंतिम गणना की जायेगी एवं अनुपातिक रूप से प्रस्तावित फॉर्मूला के आधार पर राशि का वितरण किया जायेगा। इस राशि का उपयोग आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में किया जायेगा।

5- पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिनिधायन (Devolution) एवं अनुदान (Grant) की राशि का अंतर्विभाजन क्रमशः 65:35 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए किया जायेगा।

6- iapk;rh jkt laLFkkvksa ds chp dqy gLrkarfjr jkf'k dk varfoZHkktu %&

i. वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों यथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

ii. पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित की जानेवाली कुल राशि तीन शीर्षों में अनुपातिक रूप से विभाजित किया जायेगा –

विकास निधि (Development Fund) : 30 प्रतिशत
अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) : 20 प्रतिशत
सामान्य निधि (General Fund) : 50 प्रतिशत

पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास निधि (Development Fund) एवं अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) का उपयोग आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप किया जायेगा। सामान्य निधि का 50 प्रतिशत राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कर्णांकित होगा। शेष 50 प्रतिशत की राशि का उपयोग इन संस्थाओं द्वारा आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया जायेगा।

iii- पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के बीच राशि का क्षैतिज वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक (Weightage) के आधार पर किया जायेगा जो क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत होगा।

7- 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa ds chp dqy gLrkarfjr jkf'k dk vkafoHkktu %&

iii. शहरी स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों को अंतरित की जानेवाली कुल राशि तीन शीर्षों में अनुपातिक रूप से विभाजित किया जायेगा –

विकास निधि (Development Fund)	:	30 प्रतिशत
अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund)	:	20 प्रतिशत
सामान्य निधि (General Fund)	:	50 प्रतिशत

शहरी निकायों के अन्तर्गत विकास निधि (Development Fund), अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) एवं सामान्य निधि (General Fund) का उपयोग आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप किया जायेगा।

iii- शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के बीच राशि का क्षैतिज वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक (Weightage) के आधार पर किया जायेगा जो क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत होगा।

8- iVuk uxj fuxe dks fy, Lis'ky iSdst&& वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के लिए पटना नगर निगम को स्पेशल पैकेज के रूप में 1000 करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी। यह राशि शहरी निकायों को अंतरित की जानेवाली राशि में से पटना नगर निगम को प्राप्त हिस्सेदारी के अतिरिक्त होगी। इस राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सात निश्चय के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किया जायेगा, जिसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जायेगा। स्पेशल पैकेज की वर्षवार दी जानेवाली राशि निम्न प्रकार होगी।

¼jkf'k djksM+ esa½

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-25
iVuk uxj fuxe dks fy, Lis'ky iSdst	200	225	275	300	1000

9- स्थानीय निकायों को विमुक्त की जानेवाली राशि की विमुक्ति प्रतिवर्ष दो किस्तों में foÙk foHkkx dh lgefr lsकी जायेगी।

10- राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित नगर निकायों को सी0एफ0एम0एस0 के द्वारा Electronic Fund Transfer के माध्यम से सीधे उनके बैंक/पी0एल0 खाता में राशि का अंतरण किया जायेगा।

11- आयोग द्वारा की गई अन्य अनुशंसाओं की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा समय पर की जायेगी।

12- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें, जो वित्तीय वर्ष 2015–20 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, के अनुरूप राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

13- पंचायती राज संस्थाओं को दी जानेवाली राशि पंचायती राज विभाग की मांग संख्या–16 में मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों को दी जानेवाली राशि नगर विकास एवं आवास विभाग के मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य के विभिन्न लघु शीर्षो के अंतर्गत राशि विकलनीय होगा।

14- यह आदेश वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रभाव से लागू होगा।

vkns'k%& vkns'k fn;k tkrk gS fd bl ladYi dks fcgkj jkti= ds vxys vlk/kkj.k vad esa izdkf'kr fd;k tk;A

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
,l0 fl)kFkZ]
iz/kku lfpoA

————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 688-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in